

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
 का.आ.सं.-सम्पदा(ले.प.)-आवास-आवं/2024-25/ग- 215

दिनांक:- 29.10.2024

कार्यालय आदेश

सरकारी आवास, जो प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में है, का आवंटन नियमावली 2021 एवं **MSO (Estates) Annexure-8 (C)(vii)(a)** Allotment to willing IA&AD staff eligible/entitled for lower type, on payment of Standard Licence Fee applicable to the allotted type of quarter. The allotment may be made one type higher than the entitlement of the employee. के अनुसार आर० ब्लॉक आवासीय कॉलोनी स्थित निम्नलिखित सरकारी आवास को दो वर्षों के लिए आवंटित किया जाता है।

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम(श्रीमति/श्री)	कार्यालय का नाम	Empl. ID No.	आवंटित आवास सं.	आवास टाईप
1.	कंचन सिंह,लेखापरीक्षक	लेखापरीक्षा	BHPTA 3031433	13	III
2.	राजेश ठाकुर, एम.टी.एस.	लेखापरीक्षा	BHPTL 3340172	12	III
3.	संजय कुमार ठाकुर,लेखाकार	लेखा एवं हकदारी	BHPTE 2030621	15	III

उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है कि Allotment of Government Residences (IA&AD) Rules 2021 के नियम 7(3)(i) के अनुसार इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 8 दिनों के अन्दर अपनी स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी को दें। नियमावली प्रावधान 7(4)(i)(ii)(iii) के अनुसार आवंटन स्वीकार की स्थिति में 5 कार्य दिवस के अन्दर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग महालेखाकार भवन, पटना से उस आवंटित आवास का अधिग्रहण करना होगा। आवंटी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आवंटित आवास में कोई मरम्मति कार्य की जरूरत नहीं है। मरम्मति कार्य होने की स्थिति में सी.पी.डब्लू.डी.से समन्यवय कर मरम्मती कार्य कराकर आवंटित आवास का अधिग्रहण करें। निर्धारित शुल्क की कटौती अधिग्रहण की तिथि से की जाएगी।

आवंटन अस्वीकार अथवा स्वीकृति पश्चात अधिग्रहण नहीं करने की स्थिति में आवासीय नियमावली प्रावधान 7(5)(i) के तहत अगले तीन महीने तक आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा एवं एक महीने की अनुज्ञाति शुल्क भुगतान करने को बाध्य होंगे। Allotment of Government Residences (IA&AD) Rules, 2021 के अन्य नियम एवं शर्तें लागू होंगी।

चूंकि उपर्युक्त कर्मचारियों को आवास का आवंटन **MSO (Estates) Annexure-8 (C)(vii)(a)** के तहत किया गया है, अतः **MSO (Estate)** के annexure-8, para-1 (F) के अनुसार पात्रता से उच्च श्रेणी के आवास आवंटन की स्थिति में आवंटित आवास की अनुमत्य समय सीमा आवंटन की तिथि से 2 वर्ष की होगी।

आवंटी द्वारा विद्युत कनेक्शन अपने ही नाम से लेना अनिवार्य है। इसकी सूचना अधिग्रहण से 15 दिनों के अंदर संपदा अनुभाग को दिया जाय। आवास रिक्त करने से पहले बिलों का पूर्ण भुगतान करके विद्युत विच्छेदन प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा। इस आवश्यकता की पूर्ति के बिना कनेक्शन विच्छेद के आवास का अधिपत्य वापस नहीं लिया जायेगा तथा नियमानुसार निर्धारित पिनल चार्ज की वसूली वेतन से किया जायेगा।

ह०/-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का सचिवालय।
- वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) का सचिवालय।
- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा, पूर्व मध्य रेलवे, महाप्रबंधक कार्यालय परिसर हाजीपुर-844101।
- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.एस. से अनुरोध है कि कार्यालय के वेबसाइट पर कार्यालय आदेश का प्रदर्शन सुनिश्चित कराएँ।
- कार्यपालक अभियंता (विद्युत), पटना केन्द्रीय विद्युत प्रमंडल, के.लो.नि.विभाग, पुनाईचक, पटना-23
- कार्यपालक अभियंता (असैनिक), पटना केन्द्रीय प्रमंडल संख्या-1, के.लो.नि.विभाग, पुनाईचक, पटना-23
- सहायक अभियंता (रिविल) के.लो.नि.विभाग, महालेखाकार भवन, पटना।
- संबंधित व्यक्ति।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (संपदा)

29/10/24